न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 26/2021
GCMS NO. : 2021/65

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. मोहनसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति-राजपूत, निवासी राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली।		1. पदमसिंह पुत्र जब्बरसिंह फौत के का.मु. 1/1. महेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह 2. कालूसिंह पुत्र जब्बरसिंह जातियान-राजपूत निवासीगण राबडियावास तह. जैतारण जिला पाली। 3. हडमानराम पुत्र सुजाराम जाति मेघवाल निवासी राबडियावास तह. जैतारण जिला पाली। 4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 26/07/2021

अधिवक्तागण: 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री जगदीश सोलंकी, श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय :- **दिनॉक: 30/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा राबडियावास, पटवार हल्का राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि निम्नानुसार- खसरा नम्बर 49 रकबा 2.4362 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 581 रकबा 2.4281 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 825 रकबा 1.8211 हैक्टर किस्म बारानी [illegible], खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.4930 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, [illegible] रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म चाही सोयम आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि [illegible] सायल का 1/3 वां हक हिस्सा माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड अनुसार आता है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी वर्णित खसरान भूमि मौके पर अलग-अलग बंटी हुई नहीं है तथा आपसी सहमति अनुसार ही पक्षकारान का काश्त चला आ रहा है लेकिन अभी तक उक्त विवादित आराजी रेकर्ड में संयुक्त व सामलाती खातेदारी में दर्ज होने से सायल एवं गैरसायलान के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सीमा विवाद होता रहता है तथा गैरसायलान स्वर्गीय पदमसिह ने आबादी के पास ही मुख्य सडक पर स्थित कृषि भूमि में जबरदस्ती बिना बंटवाडा किये ही दुकाने निर्मित करवा दी तथा उसे बेचान करने पर उतारू है तथा अपने हक हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने पर उतारू है जिस पर सायल ने इस प्रकार बिना बंटवाडा किये कृषि भूमि मे पक्का निर्माण करने पर मना किया तथा उसमें सायल के हक हिस्से की आई दुकान की जमीन है ऐसा कहने पर मौके पर विरोध भी किया तथा सायल अपने हक हिस्से की आराजी कृषि भूमि की पेमाईस करवाकर उसके चारो तरफ तारबन्दी आदि करवाना चाहता है जिस पर सायल ने गैरसायलान को उक्त वर्णित आराजी खसरान् भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस के सहमति से कानूनी बंटवाडा करने के लिए कई बार निवेदन किया तथा समझाईस भी की तथा दिनांक 30.06.2021 को सायल ने गैरसायलान को निवेदन किया कि तहसीलदार एवं पटवारी के पास चलकर सहमति से बंटवाडा पेश कर कानूनी बंटवाडा करवा देते है जिस पर गैरसायलान ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया तुम्हे फसल नही बोने दुगां तथा कृषि भूमि में अवैधानिक तरीके से बनाई वार्णिज्य दुकाने का भी बिना बंटवाडा किये ही बेचान कर दुगां। इस प्रकार तुम्हारे हिस्से पर बनी दुकान को भी मेरे हिस्से की बताकर बेचान कर दुगां। इस प्रकार खरीददार अपनी ताकत एवं तानाशाही के बल पर तुम्हे बेदखल कर देगे तथा जमीन हडप लेगे, गैरसायलान् को सायल द्वारा समाज बिरादरी से भी इस बाबत् बहूत समझाईस की लेकिन गैरसायलान मानने को तैयार नही है। सायल अपने हक हिस्से की आराजी को इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए कानूनी एवं विधिक रूप से अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कानूनी रूप से बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा करवाने एवं नक्शा में तरमीम करवाने, खाता अलग करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरायलान् के सादर पेश है। गैरसायलान बिना बंटवाडा किये ही उक्त भूम का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने पर उतारू है। गैरसायलान ऐसा अवैधानिक कार्य कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा सायल ऐसे अवैधानिक कार्यो का मौके पर विरोध करेगा जिससे मुकदमेबाजी होगी। सायल उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने से इंच ब इंच भूमि पर हक अधिकार होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास गैरसायलान को वर्णित खसरान् भूमि को खूर्द बुर्द करने तथा खसरान् भूम मे नवनिर्माण करने, दुकाने निर्मित करने तथा उन्हे आगे बेचान हस्तान्तरण करने से रूकवाने हेतू अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से एवं सायल के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने से रूकवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरायलान् के सादर पेश है। अतः प्रार्थनात्रप अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेशकर निवेदन है कि राजस्व मौजा राबडियावास, पटवार हल्का राबडियावास में खसरा नम्बर 49 रकबा 2.4362

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 581 रकबा 2.4281 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 825 रकबा 1.8211 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.4930 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म चाही सोयम से सायल अपने क हिस्से की कृषि भूमि मे काबिज हाकर काश्त करे काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरायलान् स्वयं या उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट किसी प्रकार से बाधा अडचन पैदा नही करे, न ही करावे तथा जब तक कानूनी बंटवाडा नही हो जाता तब तक उक्त खसरान् भूमि किसी प्रकार का नवनिर्माण नही करे तथा न ही वर्णित खसरान् भूमि को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करे मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति को यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतू गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। वकील गैरसायल संख्या 1/1, 2 व 3 द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रा.पत्र बन्द किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद द्वारा ग्राम राबडियावास के खसरा नम्बर 49 रकबा 2.4362 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 581 रकबा 2.4281 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 70 रकबा 0. 6475 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 825 रकबा 1.8211 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.4930 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म चाही सोयम के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–76 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त सामलाती सह–खातेदारी की आराजी है। संयुक्त सह–खातेदारी शामलाती आराजी के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। प्रार्थी ने सशपथ यह कथन किये कि अप्रार्थीगण बिना बंटवाडा करवाये उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण करने को आमादा है तथा गैरसायलान द्वारा सायल का आने–जाने का रास्ता रोक [illegible] सायल की मांठो को खुर्द बुर्द किया जा रहा है तथा गैरसायलान बिना बंटवाडा [illegible] ही मुख्य सड़क पर स्थित भूमि पर दुकानें निर्मित कर बेचान करने पर उतारू है। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

दुकानों की फोटोग्राफ उपलब्ध है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान को जवाब दावा प्रस्तुत करने के अनेकानेक व अंतिम अवसर देने व कॉस्ट राशि पर अवसर देने के बावजूद जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण उनका जवाब प्रा.पत्र बंद किया गया। अतः अप्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा सायल के उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया गया। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि गैरसायलान द्वारा सायल के खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में बाधा पहुँचाना प्रतीत होता है जबकि सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से तक की आराजी को उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पूर्व विवेचित बिंदू प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही, सह–खातेदारी शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का आराजी में अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। सायलान द्वारा सशपथ यह कथन किया गया कि उनके हक–हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने पर उतारू है तथा सड़क पर स्थित कृषि भूमि पर दुकानें निर्मित कर उसके बेचान पर उतारू है। गैरसायलान द्वारा सायल के उक्त कथनों के संबंध में जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः गैरसायलान द्वारा उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया गया। यदि गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अतिक्रमण करते है तो निश्चित ही इससे सायल को अधिक असुविधा होगी। अतः यह बिंदू भी सायल/प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित हुए है साथ ही प्रार्थी/सायल द्वारा गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अवैद्यानिक वाणिज्यिक दुकानें बनाकर तथा बिना बंटवाडा बेचान करने पर उतारू होने के सशपथ कथन किये है। गैरसायलान द्वारा उक्त कथनों के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन या मण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यदि गैरसायलान द्वारा सामलाती सह–खातेदारी आराजी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हिस्से से अधिक भूमि का विधिवत बंटवाड़ा से पूर्व बेचान या उस पर नव–निर्माण करते है तो इससे प्रार्थी/सायल को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हम गैरसायलान को प्रश्नगत आराजी में सायल के वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से पर नव–निर्माण न करने व किसी विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला [illegible] मौजा राबडियावास, पटवार हल्का राबडियावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा [illegible] जैतारण जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की कब्जे काश्त [illegible] भूमि निम्नानुसार– खसरा नम्बर 49

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

रकबा 2.4362 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 581 रकबा 2.4281 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 825 रकबा 1.8211 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.4930 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म चाही सोयम भूमि में वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का नव-निर्माण न करने व किसी विशिष्ट भू-भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:29 IST
Reason: SelfAttested